

(SDO), बाड़मेर

14.01.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय सभ्य में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग सभ्य पर तीस बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो व नम्बर से कम हो।

14/01/25

सहायक कलक्टर

(SDO), बाड़मेर

